बिहार सरकार
लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग

संकल्प

श्री गणेश प्रसाद यादव, तत्कालीन कार्यपालक अभियंता, लोक स्वास्थ्य प्रमंडल, मुजफ्फरपुर संप्रति सेवानिवृत्त के विरूद्ध मुजफ्फरपुर शहरी जलापूर्ति योजना के विस्तारीकरण/सुदृढ़ीकरण (फेज-2) में M0 जुस्को लिमिटेड, जमशेदपुर द्वारा कराये गये कार्यों/आपूर्ति के लिए फर्म द्वारा प्राईस न्यूट्रलाईजेशन के तहत (छड़ एवं सीमेंट सहित) किये गये दावों को बिना जांच पड़ताल किये कुल ₹2,20,54,120/- (रूपये दो करोड़ बीस लाख चौवन हजार एक सौ बीस मात्र) का गलत ढंग से अनियमित भुगतान हेतु अनुशंसा का आरोप विभागीय प्रधान सचिव की अध्यक्षता में दिनांक 08.04.2010 को हुई निविदा समिति की बैठक में सरकार के संज्ञान में आया।

2. मामले की सरकार द्वारा समीक्षा की गयी एवं समीक्षोपरांत विभागीय संकल्प सं0-5/आ02-1020/2013-29, दिनांक 31.01.2014 द्वारा श्री यादव के विरूद्ध विभागीय कार्यवाही संस्थित की गयी तथा श्री यादव के दिनांक 31.01.2014 को सेवानिवृत्ति के मद्देनजर विभागीय आदेश संख्या-554 दिनांक-18.07.2016 द्वारा उक्त विभागीय कार्यवाही को बिहार पेंशन नियमावली के नियम 43 (बी) में संपरिवर्तित किया गया।

3. श्री यादव के विरूद्ध संस्थित विभागीय कार्यवाही के जांच संचालन पदाधिकारी, विभागीय जांच आयुक्त, श्री रामेश्वर सिंह, भा0प्र0से0 के पत्रांक-वि0का0सं0-49/14-113 दिनांक 02.03.2016 द्वारा जांच प्रतिवेदन उपलब्ध कराया गया। जांच प्रतिवेदन में निष्कर्ष स्वरूप कहा गया है कि "कंडिका 2.1 में सूचीबद्ध आरोपों में से Price Neutralization के तहत एंजेसी के दावों की जांच एवं प्रेषण के संदर्भ में प्रमंडल स्तर पर बरती गयी त्रुटियों के लिए कोई आरोप नहीं बनता है। भंडारपंजी के संधारण में हुई त्रुटियों के लिए प्रथम दृष्टया सहायक अभियंता और कनीय अभियंता को जिम्मेवार माना जा सकता है, आरोपित पदाधिकारी के विरूद्ध कोई आरोप प्रमाणित नहीं होता है।"

4. जांच प्रतिवेदन से असहमत होते हुए एवं असहमति के बिन्दु अंकित करते हुए विभागीय पत्रांक-5/आ02-1020/2013-555, दिनांक-18.07.2016 द्वारा जांच प्रतिवेदन की छायाप्रति संलग्न करते हुए आरोपित पदाधिकारी से 15 दिनों के अंदर द्वितीय कारण पृच्छा (लिखित अभिकथन) समर्पित करने का अनुरोध किया गया।

5. उक्त के आलोक में आरोपित पदाधिकारी द्वारा पत्रांक-शून्य दि0-19.08.16 द्वितीय कारण पृच्छा समर्पित किया गया। आरोपित पदाधिकारी से प्राप्त कारण पृच्छा को सम्यक् समीक्षोपरान्त अस्वीकार्य पाया गया।

6. वर्णित परिप्रेक्ष्य में सरकार द्वारा पूरे मामले की पुन: समीक्षा की गई तथा जाँच संचालन पदाधिकारी द्वारा समर्पित जाँच प्रतिवेदन से असहमत होते हुए आरोपित पदाधिकारी श्री [illegible] प्रसाद यादव, तत्कालीन कार्यपालक अभियंता, लोक स्वास्थ्य प्रमंडल, मुजफ्फरपुर सम्प्रति सेवानिवृत्त के विरूद्ध बिहार पेंशन नियमावली के नियम 43(बी) के तहत पच्चीस (25) प्रतिशत पेंशन स्थायी रूप से रोकने का दंड अधिरोपित करने का प्रस्ताव गठित किया गया तथा सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त किया गया।

7. उपरोक्त विभागीय प्रस्ताव पर बिहार लोक सेवा आयोग से प्रस्तावित दण्ड पर परामर्श देने हेतु विभागीय पत्रांक 5/आ02 1020/2013 08, दिनांक [illegible].2017 द्वारा अनुरोध किया गया।

8. बिहार लोक सेवा आयोग के पत्रांक-03/प्र0-3-01/2017-689 लो0से0आ0 दि0-28.06.2017 द्वारा आरोपित पदाधिकारी के विरुद्ध अधिरोपित विभागीय दण्ड प्रस्ताव से असहमति व्यक्त की गयी। इस मामले की पुन: समीक्षा की गयी तथा समीक्षोपरान्त यह पाया गया कि बिहार लोक सेवा आयोग का उपर्युक्त परामर्श स्वीकार योग्य नहीं है।

9. उल्लेखनीय है कि पाईपों की आपूर्ति करने से संबंधित विश्वसनीय एवं वैध कागजात अथवा कोई पुष्ट साक्ष्य उपलब्ध नहीं रहने के बावजूद आरोपित पदाधिकारी द्वारा बिना किसी आधार के इतनी बड़ी राशि का Price Neutralisation से संबंधित दावा अपने उच्चाधिकारियों सहित सचिव को अनुशंसित किया गया, यह इनके गलत मंशा को दर्शाता है। बिहार लोक निर्माण लेखा संहिता के नियम 109 में निहित उपबंध के तहत प्रमंडलीय पदाधिकारी की हैसियत से भंडार पंजी के संधारण में बरती गयी अनियमितता, सामग्रियों की आपूर्ति, रख-रखाव एवं अधिष्ठापन के नियंत्रण की जिम्मेवारी आरोपित पदाधिकारी की बनती थी। जब योजना में उपयोग की जानी वाली सामग्री का भुगतान सरकारी कोष से होना है तो कार्यपालक अभियंता की यह जिम्मेवारी बनती है कि इसके भंडारण एवं वितरण पर नियंत्रण रखे।

समीक्षा के क्रम में यह भी स्पष्ट होता है कि योजना के कार्यान्वयन में आरोपित पदाधिकारी द्वारा प्रशासनिक नियंत्रण का अभाव रहा है तथा इन्होंने अपने जिम्मेवारी का वहन नहीं किया है। इन्होंने वगैर प्रमाणिक कागजात एवं पुष्ट साक्ष्यों के ही ₹2,20,54,120/-(रूपये दो करोड़ वीस लाख चौउवन हजार एक सौ बीस मात्र) का Price Neutralisation का प्रस्ताव अनुशंसित कर दिया, जबकि निविदा समिति की बैठक में ₹1,14,13,628/-(रूपये एक करोड़ चौदह लाख तेरह हजार छ: सौ अठ्ठाईस मात्र) ही अनुमोदित किया गया था। इन्हें अनुशंसा भेजने के पूर्व आवश्यक छानवीन करनी चाहिए थी। यह एक गंभीर कदाचार का मामला बनता है।

उपर्युक्त विवरण से स्पष्ट होता है कि श्री यादव द्वारा Price Neutralisation के अनुमान्य करने में गंभीर अनियमितता बरती गयी है। श्री यादव को पूर्व में भी एक मामले में पांच प्रतिशत पेंशन पांच वर्षों तक रोकने का दण्ड दिया गया है तथा एक अन्य मामले में इनके विरुद्ध विभागीय कार्यवाही में प्रमाणित आरोपों के मद्देनजर द्वितीय कारणपृच्छा पूछा जाना प्रक्रियाधीन है। इससे स्पष्ट होता है कि अपने सेवाकाल में आरोपित पदाधिकारी द्वारा लगातार अनियमितता बरती गयी है तथा इनके आचरण में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। यह गंभीर अनुशासनहीनता, कर्तव्यहीनता, अन्तर्लिप्तता तथा कदाचार को प्रमाणित करता है।

10. वर्णित तथ्यों के आलोक में श्री गणेश प्रसाद यादव, तत्कालीन कार्यपालक अभियंता, लोक स्वास्थ्य प्रमंडल, मुजफ्फरपुर सम्प्रति सेवानिवृत्त के विरुद्ध बिहार पेंशन नियमावली के नियम 43(बी) के तहत निम्नांकित शास्ति अधिरोपित कर संसूचित किया जाता है:-

(i) **पच्चीस (25) प्रतिशत पेंशन स्थायी रूप से रोकने का दंड।**

11. उक्त निर्णय पर सक्षम अनुशासनिक प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।

12. उपर्युक्त कंडिका-10 में निहित शास्ति पर मंत्रिपरिषद का (मंत्रिपरिषद की बैठक दिनांक-03.10.2017 मद सं0-09) अनुमोदन प्राप्त है।

आदेश:- आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प की प्रति बिहार राजपत्र के अगले असाधारण अंक में प्रकाशित किया जाय।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

12/10/17

(शशिकांत तिवारी)

अपर सचिव

ज्ञापांक- 5/आ02-1020/2013- 853 पटना, दिनांक- 12.10.17

प्रतिलिपि:- महालेखाकार, बिहार, पटना/अवर सचिव, वित्त विभाग (वै.दा.नि.को.), बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

12/10/17

(शशिकांत तिवारी)

अपर सचिव

ज्ञापांक 5/आ02-1020/2013- 853 पटना, दिनांक- 12.10.17

प्रतिलिपि:- सचिव के आप्त सचिव/सभी क्षेत्रीय मुख्य अभियंता/सभी अधीक्षण अभियंता/सभी कार्यपालक अभियंता/मुख्यालय के सभी पदाधिकारी/प्रशाखा पदाधिकारी, प्रशाखा-1/आई0टी0 मैनेजर (विभाग के वेबसाईट पर प्रकाशन हेतु), लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग, बिहार, पटना/श्री गणेश प्रसाद यादव, तत्कालीन कार्यपालक अभियंता, लोक स्वास्थ्य प्रमंडल, मुजफ्फरपुर (सम्प्रति सेवानिवृत्त), पता-मुहल्ला-न्यू हरनीचक, यमुना यादव पथ, पोस्ट-अनिशाबाद, थाना-बेऊर, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

12/10/17

(शशिकांत तिवारी)

अपर सचिव

ज्ञापांक - 5/आ02-1020/2013- 853 पटना, दिनांक- 12.10.17

प्रतिलिपि: प्रधान सचिव मंत्रिमंडल सचिवालय/माननीय मुख्यमंत्री के प्रधान आप्त सचिव, मुख्यमंत्री सचिवालय, बिहार, पटना माननीय मंत्री लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग के आप्त सचिव, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

12/10/17

(शशिकांत तिवारी)

अपर सचिव

ज्ञापांक- 5/आ02-1020/2013- 853 पटना, दिनांक- 12.10.17

प्रतिलिपि: प्रभारी, ई0 गजट कोषांग, वित्त विभाग, बिहार, पटना को सी0डी0 एवं दो हार्ड कॉपी के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

12/10/17

(शशिकांत तिवारी)

अपर सचिव